रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052025-262863
CG-DL-E-03052025-262863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1958] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2025/ वैशाख 12, 1947
No. 1958] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2025/ VAISAKHA 12, 1947

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2025

**का.आ. 2002(अ).—**.- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में गुजरात सरकार के परामर्श से, गुजरात के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति -2 (एसईएसी-2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त समिति-2 कहा गया है), का तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | डॉ. अशोक कुमार सक्सेना, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त)<br>बंगला 38, सेक्टर 8-ए, गांधीनगर, गुजरात – 382007 । | अध्यक्ष; |
| 2 | श्री अनिल ललितप्रसाद उनियाल,<br>ज्येष्ठ भूविज्ञानी (सेवानिवृत्त)<br>33 ई, कृपालु नगर सोसायटी, तरसाली सुसेन रोड़, बड़ोदरा- 390010। | सदस्य; |
| 3 | डॉ. पारस मुकुंदभाई सोलंकी, | सदस्य; |

विभागाध्यक्ष भू विज्ञान, एम.जी. विज्ञान संस्थान, नवरंगपुरा अहमदाबाद 380009 ।

4 श्री दिलीप कुमार मोहनलाल राठोड़, सदस्य-सचिव।
पर्यावरण इंजीनियर, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रादेशिक कार्यालय,
प्लाट संख्या – एच/3-ए, गुजरात औद्योगिक विकास निगम – 1,
भारतीय खाद्य निगम गोदाम के पास, मोढेरा रोड़, मेहसाणा – 384002 ।

2. उक्त समिति- 2 की सिफारिशें, प्राधिकरण द्वारा अपने विनिश्चय के लिए विचार में ली जाएगी ।

3. उक्त समिति-2 के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

4. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(1) उक्त समिति-2 के अध्यक्ष और सदस्य-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और साथ ही किस परियोजना प्रस्तावक के साथ जुड़े हैं;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श नहीं देगें या सहयोग नहीं करेंगे,जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित या समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है; और

(2) यदि पिछले पांच वर्ष में, उक्त समिति-2 के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य ने परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में और उक्त समिति-2 की बैठकों से स्वयं को अलग कर लेंगे ।

5. उक्त समिति-2 उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगी और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी।

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-2 केवल राज्य से संबंधित खनन परियोजनाओं का मूल्यांकन या पुन:मूल्यांकन करेगी । का.आ. 2581(अ), तारीख 13 जून, 2023 द्वारा गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति खनन के सिवाय अन्य सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन या पुन:मूल्यांकन करेगी ।

7. उक्त समिति-2 सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि वे सर्वसम्मति पर पहुंचने में असफल रहते हैं तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

8. गुजरात सरकार, उक्त समिति-2 के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेंगी और सचिवालय वित्तीय और संभार तंत्र जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

9. उक्त समिति-2 के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता गुजरात सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

[फा.सं.-आईए 3-13/4/2023-आईए.।।।]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2025

**S.O. 2002(E).—**.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government, in consultation with the Government of Gujarat, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee-2 (SEAC-2) for Gujarat (hereinafter referred to as the said Committee-2), for a period of three years comprising of the following persons, namely:—

(1) Dr. Ashok kumar Saxena, Indian Forest Services (Retired.) Chairman;
Bungalow 38, Sector 8-A, Gandhinagar, Gujarat-382007.

(2) Shri Anil Lalitprasad Uniyal Member;
Senior Geologist (Retired.)
33E, Kripalu Nagar Society, Tarsali Susen Road, Vadodara-390010.

(3) Dr. Paras Mukundbhai Solanki Member;
Head of Geology Department,
M.G. Science Institute, Navrangpura, Ahmedabad-380009.

(4) Shri Dilipkumar Mohanlal Rathod, Member –Secretary.
Environment Engineer, Gujarat Pollution Control Board
Regional Office of Gujarat Pollution Control Board,
Plot No - H/3-A, Gujarat Industrial Development Corporation - 1,
Near Food Corporation of India godown, Modhera Road,
Mehsana – 384002.

2. The recommendations of the said committee-2, shall be taken into consideration by the Authority for its decision.

3. The Chairman and Members of the said Committee-2, shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

4. In order to avoid any conflict of interest, -

(1) the Chairman and Members of the said Committee-2 shall,-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or association with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(2) If in the preceding five years, the Chairman or any Member of the said Committee-2, has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that situation they shall recuse themselves from the meetings of the said Committee-2, from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

5. The said Committee -2, shall exercise the powers and follow the procedures specified in the said notification.

6. The State Level Expert Appraisal Committee -2 shall appraise or re-appraise only mining projects pertaining to the State. The State Level Expert Appraisal Committee constituted *vide* S.O 2581(E), dated the 13th June, 2023 shall appraise or reappraise all other projects except mining.

7. The said Committee-2, shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus the view of the majority shall prevail.

8. The Government of Gujarat shall specify an agency to act as Secretariat of the said Committee-2 and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of its statutory functions.

9. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the said Committee-2, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Government of Gujarat.

[F. No. IA3-13/4/2023-IA.III]
RAJAT AGARWAL, Jt.Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.05.03 11:11:14 +05'30'